झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प — 1072 17/02/2009

विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती, प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के संबंध में आदर्श रोस्टर ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–5776 दिनांक 10.10.2002 के द्वारा झारखण्ड में राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण हेतु विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए निम्न रूप में आरक्षण प्रतिशत निर्धारित था :–

(क) अनुसूचित जाति — 10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति — 26 प्रतिशत
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग — 14 प्रतिशत
(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर)

2. राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यथा निर्धारित 14 प्रतिशत आरक्षण को संकल्प संख्या–5162 दिनांक 25.09.2008 द्वारा विभाजित कर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) के लिए 8 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए 6 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार वर्तमान में राज्य की राज्य स्तर पर सभी सेवाओं/संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निम्न रूप से आरक्षण अनुमान्य है:–

(क) अनुसूचित जाति — 10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति — 26 प्रतिशत
(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) — 08 प्रतिशत
(घ) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) — 06 प्रतिशत
कुल — 50 प्रतिशत

राज्य स्तर पर सभी सेवाओं/संवर्गों एवं पदों पर प्रोन्नति में निम्न रूप से आरक्षण की व्यवस्था है :–

(क) अनुसूचित जाति — 10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति — 26 प्रतिशत
कुल — 36 प्रतिशत

3. संकल्प संख्या–6329 दिनांक 20.11.2003 द्वारा सीधी नियुक्ति एवं संकल्प संख्या–2650 दिनांक 19.05.2004 द्वारा प्रोन्नति हेतु 100 बिन्दुओं का तथा परिपत्र संख्या–986, दिनांक 30.03.2005 द्वारा पांच पदों के छोटे संवर्ग के लिए सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु पांच बिन्दुओं का आदर्श आरक्षण रोस्टर गठित है जिसे संकल्प संख्या 5162, दिनांक 25.09.2008 के आलोक में परिमार्जित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरोन्त राज्य सरकार ने निम्न रूप में आदर्श आरक्षण रोस्टर गठित करने का निर्णय लिया है :–

(क) सीधी भर्त्ती/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए 50 पदों/स्थानों का आदर्श आरक्षण रोस्टर। (परिशिष्ट–I)

(ख) सीधी भर्त्ती /शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए 11 पदों/स्थानों का आदर्श आरक्षण रोस्टर (छोटे संवर्गों के लिए)। (परिशिष्ट–II)

(ग) प्रोन्नति के लिए 50 पदों का आदर्श आरक्षण रोस्टर। (परिशिष्ट–III)

(घ) चूंकि प्रोन्नति के मामले में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 को आरक्षण अनुमत नहीं है इसलिए प्रोन्नति के संदर्भ में छोटे संवर्ग के लिए परिपत्र संख्या 986 दिनांक 31.03.2005 द्वारा पूर्व निर्धारित 5 पदों का आदर्श आरक्षण रोस्टर लागू रहेगा। (परिशिष्ट–IV)

4. एतद् विषयक पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17.2.09

(जे0बी0 तुबिद)
सरकार के सचिव।